

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।
जिला-सरायकेला-खरसावाँ।



e-mail- dfo-saraikeला@gov.in Telefax No.06597-234891(O)



पत्रांक : 2557 / सरायकेला दिनांक 23/12/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय : मौजा-श्रीरामपुर, थाना नं0-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं0-71 में स्थापित
LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे0 (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन
के संबंध में।

प्रसंग : (1) झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का
ज्ञापांक-वनभूमि-54/2019-4019 व0प0 रांची दिनांक 16.10.2019
(2) इस कार्यालय का पत्रांक 1369 दिनांक 30.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संख्या-01 के द्वारा वांछित अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व
में प्रासंगिक पत्र संख्या-02 के द्वारा अग्रसारित किया गया था परन्तु परिवेश पोर्टल पर Upload
नहीं किया गया था। निराकरण वश वर्तमान में विषयगत प्रस्ताव प्रमंडल स्तर पर लंबित दृष्टव्य
है।

अतः पूर्व में प्रेषित अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर Upload करते हुए उसकी
छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Aditya Narayan
वन प्रमंडल पदाधिकारी
सरायकेला वन प्रमंडल।
23/12/22



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।
जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)



जहाँ है वन्यता
वहाँ है खराबता

सेवा में,

पत्रांक : 1369 / सरायकेला

दिनांक : 30/07/2021

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय : मौजा-श्रीरामपुर, थाना नं0-48 एवं मौजा शिखरडीह थाना नं0-71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे0 (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

- प्रसंग :
- (1) झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ज्ञापां 5 वनभूमि-54/2019-4019 व0प0 राँची, दिनांक 16.10.2019
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 756 दिनांक 23.09.2020 एवं पत्रांक 1067 दिनांक 02.12.2020
 - (3) इस कार्यालय का पत्रांक 1774 दिनांक 09.10.2020
 - (4) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का ज्ञापांक 329 दिनांक 19.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मौजा-श्रीरामपुर, थाना नं0-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं0-71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे0 (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पूर्व में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित 112.13 हे0 (276.97 एकड़) अपयोजन प्रस्ताव का अंश है। क्षेत्रीय उप निदेशक जियाडा के पत्रांक 555/ए0आर0 दिनांक 01.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को उक्त 21.60 एकड़ क्षेत्र अपयोजन प्रस्ताव के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्ताव को जाँचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1942 दिनांक 24.08.2019 द्वारा अग्रसारित किया गया था।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-वनभूमि 54/2019-4019 व0प0 राँची दिनांक 16.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची के पत्रांक 756 दिनांक 23.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख का मांग किया गया :-

1. Authenticated Land Schedule के अनुरूप वनभूमि के रकबा में सुधार आवश्यक है।
2. प्रस्तावित वनभूमि पूर्व में AIADA द्वारा समर्पित 112.09 (276.97 एकड़) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित है तथा आयडा द्वारा विषयक प्रस्ताव हेतु NOC भी दी गई है। इस संबंध में आयडा से स्थिति स्पष्ट करायी जाय कि एक ही वनभूमि का दो अलग-अलग अपयोजन प्रस्ताव का क्या औचित्य है।
3. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में उपायुक्त द्वारा FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही के साथ)।
4. CWLW का मन्तव्य।

तदोपरान्त जियाडा के पत्रांक 1525/आर0र0 दिनांक 21.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के विषयक परियोजना के संदर्भ में पत्र लिखा गया है, जिसके 3 (तीन) मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- (1) M/S H.P.C.L द्वारा 8.74 हे० (21.60 एकड़) अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव आयडा द्वारा पूर्व समर्पित 112.13 हे० (276.97 एकड़) अपयोजन प्रस्ताव का हिस्सा है।
- (2) M/S H.P.C.L द्वारा आवंटित 8.74 हे० (21.60 एकड़) भूमि के लिए अलग से अपयोजन प्रस्ताव समर्पित करने का कोई औचित्य नहीं है।
- (3) M/S H.P.C.L द्वारा समर्पित प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं है। अतः इसे खारिज करते हुए उनके कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-555/ए० आर० दिनांक 01.06.2019 को रद्द मान जाय।

इस कार्यालय के पत्रांक 1774 दिनांक 09.10.2020 द्वारा अद्योहस्ताक्षरी का मंतव्य संबंधी प्रतिवेदन वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर को पूर्व में भेजी गई है (छायाप्रति संलग्न)।

पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1067 दिनांक 02.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1774 दिनांक 09.10.2020 द्वारा प्रेषित पत्र में उनका मंतव्य का मांग किया गया जिसकी प्रति आपके पत्रांक 329 दिनांक 19.03.2021 द्वारा इस कार्यालय को दी गई है (छायाप्रति संलग्न)। तत्पश्चात् क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के ज्ञापांक 1074 दिनांक 17.06.2021 द्वारा इस कार्यालय द्वारा विषयक मामले के संबंध में पृच्छित बिन्दुओं का इस कार्यालय द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भवदीया से मंतव्य मांगते हुए उक्त पत्र की प्रति इस कार्यालय को भी दिया गया (छायाप्रति संलग्न)।

M/S H.P.C.L द्वारा समर्पित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा समर्पित 112.13 हे० (276.97 एकड़) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित है तथा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त वनभूमि अपयोजन हेतु भारत सरकार के पत्र में लगाये गए शर्तों के अनुसार NPV की राशि भी जमा किया गया है। वर्तमान में यह प्रस्ताव झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक वनभूमि-54/2019-4019 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण अनुपालन नहीं किए जाने के कारण लंबित है। M/S HPCL का प्रस्ताव आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत NOC के आधार पर अग्रसारित किया गया था, जिसे उनके द्वारा उनके पत्रांक 1525 दिनांक 21.12.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष में एक ही वनभूमि खण्ड के अपयोजन हेतु दो अलग-अलग प्रस्ताव पर विचार किया जाना नियम संगत नहीं प्रतित होता है। इस विषय पर उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन एवं सुझाव प्राप्त कर लेना उचित होगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Aditya Naayak
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सुरायकेला वन प्रमंडल।
30.07.2019

झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर प्रक्षेत्र, सरायकेला -खरसाँवा।

प्रेषक :

क्षेत्रीय उप निदेशक
आदित्यपुर प्रक्षेत्र, जियाडा।

पत्रांक 555 / ए.आर.

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सरायकेला वन प्रमंडल
सरायकेला।

आदित्यपुर, दिनांक 01.06.19

विषय : सर्वश्री आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को स्वीकृत 276.97 एकड़ वनभूमि में से आवंटित वन क्षेत्र के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 874 / सरायकेला दिनांक 03.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगीन पत्र के संबंध में कहना है कि मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 को 25.00 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। जिसमें से 21.601 एकड़ वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित 276.97 एकड़ वन भूमि का अंश है। मे0 हिन्दुस्तान कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन क्षेत्र 21.60 एकड़ का अपयोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आपके कार्यालय में समर्पित किया गया है।

उक्त के कम कहना है कि वन क्षेत्र 21.60 एकड़ के अपयोजन के संबंध में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर प्रक्षेत्र को कोई आपत्ति नहीं है।

सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय उप निदेशक
आदित्यपुर प्रक्षेत्र, आदित्यपुर।



21675

17 OCT 2019

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक-

मौजा-श्रीरामपुर, थाना नं०-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं०-71 में स्थापित LPG
Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे० (21.60 एकड़) वन भूमि अपयोजन का
प्रस्ताव के संबंध में।

आपका पत्रांक-1109 दिनांक-12.09.2019

विषय:-

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयगत परियोजना से
संबंधित वन भूमि पूर्व में मेसर्स आयडा द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित 276.97
एकड़ (112.09 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का ही हिस्सा है। प्रस्ताव के साथ समर्पित
Authenticated Land Schedule के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि विषयक परियोजना
में सन्निहित भूमि में प्रस्तावित 21.60 एकड़ अधिसूचित वन भूमि के अलावा मौजा-शिखरडीह के
प्लॉट सं०-65 में अवस्थित 0.36 एकड़ गैर मंजूरुआ (जंगल-साखु) भूमि भी सन्निहित है।

वर्णित स्थिति में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख अपेक्षित है :-

(i) Authenticated Land Schedule के अनुरूप प्रस्तावित वन भूमि के रकबा में सुधार
आवश्यक है।

(ii) चूँकि प्रस्तावित वनभूमि पूर्व में ALADA द्वारा समर्पित 112.09 हे० (276.97 एकड़) वन
भूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित है तथा आयडा द्वारा विषयक प्रस्ताव हेतु NOC भी दी गई है। इस
संबंध में आयडा से स्थिति स्पष्ट करायी जाय कि एक ही वन भूमि का दो अलग-अलग अपयोजन
प्रस्ताव का क्या औचित्य है।

(iii) प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में उपायुक्त द्वारा FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस
क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।

(iv) CWLW का मतव्य।

अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

4384
18/10/19
concerned

F 20/11/19
PF
महाशय

संख्या-वन भूमि-54/2019-
नं० सं० प्र० सं० 2206
दिनांक 18/10/19

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर प्रक्षेत्र,
जिला- सरायकेला-खरसावा

प्रेषक,

क्षेत्रीय उप निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र

पत्रांक

/आ0प्र0

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

आदित्यपुर, दिनांक:

विषय : सर्वश्री आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के पक्ष में 112.13 हे0 (276.97 एकड़) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, सह प्रबन्ध निदेशक, जियाडा, राँची को भवदीय द्वारा संम्बोधित पत्रांक 1294 दिनांक 25.10.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सचिव, जियाडा, राँची के पत्रांक 591 दिनांक 20.12.2019 द्वारा दिये गये निदेशानुसार आयडा द्वारा पूर्व समर्पित 112.13 हे0 (276.97 एकड़) वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा stage - I की स्वीकृति प्राप्त है। इस संबंध में अग्रेतर कारवाई हेतु तीन बिन्दुओं पर भारत सरकार द्वारा पृच्छा किया गया था। उक्त तीनों बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल को उपलब्ध करा दिया गया है साथ ही दिनांक 13.12.2019 को प्राधिकार के पत्रांक 1498/ए0आर0 द्वारा वन भूमि से संबंधित क्षेत्र को चिन्हित कर pillaring का कार्य सम्पन्न होने की सूचना दे दी गई है। जानकारी के अनुसार यह वर्तमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

M/s. H.P.C.L. द्वारा 8.74 हे0 (21.60 एकड़) भूमि के अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव आयडा द्वारा पूर्व समर्पित 112.13 हे0 (276.97) के अपयोजन प्रस्ताव का हिस्सा है।

अतः M/s. H.P.C.L. द्वारा आवंटित 8.74 हे0 (21.60 एकड़) भूमि के लिए अलग से अपयोजन प्रस्ताव समर्पित करने का कोई औचित्य नहीं है।

M/s. H.P.C.L. द्वारा समर्पित प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं है। अतः इसे खारिज करते हुए इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 555/ए0आर0 दिनांक 01.06.2019 को रद्द माना जाय तथा यथोचित कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय उप निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र

अनुसंधान सं. : 21/12/19

ज्ञापांक :- 1525 /आ0प्र0

दिनांक - 21/12/19

प्रतिलिपि :- सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार सह प्रबन्ध निदेशक, जियाडा, राँची को सूचनार्थ एवं यथोचित कारवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय उप निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।
जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशामती ॥

पत्रांक :/सरायकेला दिनांक :

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय : मौजा-श्रीरामपुर थाना नं०-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं०-71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे० (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, -सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास, बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 1274 दिनांक 23.10.2019, ज्ञापांक 756 दिनांक 23.09.2020 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक 2512 दिनांक 26.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मौजा-श्रीरामपुर थाना नं०-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं०-71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.70 हे० (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पूर्व में आयडा द्वारा आवेदित प्रस्ताव 112.13 हे० (276.97 एकड़) का अंश है। क्षेत्रीय उप निदेशक, आदित्यपुर प्रक्षेत्र जियाडा के पत्रांक 555/ए०आर० दिनांक 01.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड को उक्त 21.60 एकड़ क्षेत्र अपयोजन स्वीकृति हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्ताव को जाँचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1942 दिनांक 24.08.2019 द्वारा अग्रसारित किया गया था।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या वनभूमि-54/2019-4019 व०प० राँची दिनांक 16.10.2019 द्वारा निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख का माँग किया गया :-

1. Authenticated Land Schedule के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में सुधार आवश्यक है।
2. चूँकि प्रस्तावित वनभूमि पूर्व में AIADA द्वारा समर्पित 112.09 हे० (276.97 एकड़) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित है तथा आयडा द्वारा विषयक प्रस्ताव हेतु NOC भी दी गई है। इस संबंध में आयडा से स्थिति स्पष्ट करायी जाय कि एक ही वनभूमि का दो अलग-अलग अपयोजन प्रस्ताव का क्या औचित्य है।
3. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में उपायुक्त द्वारा FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस पत्र में हुई बैठक की कार्यवाही के साथ)।
4. CWLW का मन्तव्य।

तदोपरान्त जियाडा के पत्रांक 1525/आर०र० दिनांक 21.12.2019 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को विषयक परियोजना के संदर्भ में पत्र लिखा गया है जिसके 3 (तीन) मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :-

(1) M/S H.P.C.L द्वारा 8.74 हे० (21.60 एकड़) अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव आयडा द्वारा पूर्व समर्पित 112.13 हे० (276.97 एकड़) के अपयोजन का हिस्सा है।

(2) M/S H.P.C.L द्वारा आवंटित 8.74 हे० (21.60 एकड़) भूमि के लिए अलग से अपयोजन प्रस्ताव समर्पित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) M/S H.P.C.L द्वारा समर्पित प्रस्ताव विधि-सम्मत नहीं है। अतः इसे खारिज करते हुए उनके कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-555/ए०आर० दिनांक 01.06.2019 को रद्द माना जाय (छायाप्रति संलग्न)।

अतः सूचनार्थ समर्पित।

अनु० : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सरायकेला वन प्रमंडल।

ज्ञापांक : 1774 दिनांक : 9/10/2020

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, -सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास, बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya Nayak
वन प्रमंडल पदाधिकारी
सरायकेला वन प्रमंडल।
9/10/2020

(7) 68

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1067 दिनांक:- 02.12.2020

F/C Act
04/12/20
04/12/20

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
जमशेदपुर।

विषय :-

मौजा-श्रीरामपुर, थाना नं०-48 एवं मौजा-शिखरडीह, थाना नं०-71 में
स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे० (21.60 एकड़)
वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

1. इस कार्यालय का पत्रांक 756, दिनांक 23.09.2020
2. आपका पत्रांक 2911 दिनांक 18.11.2020


महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव
संख्या FP/JH/IND/33374/ 2018 कुल 8.74 हे० पर राज्य सरकार के पत्रांक 4019 दिनांक
16.10.2019 द्वारा पृच्छित 4 बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन की मांग की गई।

निराकरण प्रतिवेदन जो में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1774 दिनांक
09.10.2020 द्वारा समर्पित है के अवलोकन से स्पष्ट है कि :

- a. M/S H.P.C.L द्वारा 8.74 हे० (21.60 एकड़) अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव आयर
द्वारा पूर्व समर्पित 112.13 हे० (276.97 एकड़) के अपयोजन का हिस्सा है।
- b. M/S H.P.C.L द्वारा आवंटित 8.74 हे० (21.60 एकड़) भूमि के लिए अलग
अपयोजन प्रस्ताव समर्पित करने का कोई औचित्य नहीं है।
- c. M/S H.P.C.L द्वारा समर्पित प्रस्ताव विधि-सम्मत नहीं है। अतः इसे खारिज क
हुए उनके कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-555/ए०अ
दिनांक 01.06.2019 को रद्द माना जाय।

वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर आपका स्पष्ट मतव्य अंकित नहीं है। उ
समीक्षोपरांत अपना सुस्पष्ट मतव्य इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। त
वस्तु-स्थिति से राज्य सरकार अवगत कराया जा सके।



विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर।
(वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो०-सोनारी, जमशेदपुर-831011)
दूरभाष संख्या- 0657-2222995, मेल- rccf-singhbhum@gov.in



जहाँ है उद्यानी ।
यहाँ है ज्ञानमाली ॥

पत्रांक 569 / जमशेदपुर -11, दिनांक 04-03-2021

सर्व में

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर ।

विषय:- मौजा - श्रीरामपुर, थाना न०- 48 एवं मौजा - शिखरडीह, थाना न० - 71 में स्थापित LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे० (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग:- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1067 दिनांक 02.12.2020 ।
2. इस कार्यालय का पत्रांक 3111 दिनांक 10.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश करें । विषयक मामले के संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या वनभूमि - 54/2019 - 4019 व०५० राँची दिनांक 16.10.2019 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन आपके 981 दिनांक 03.11.2020 द्वारा समर्पित किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 2911 दिनांक 18.11.2020 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित किया गया था । उक्त प्रतिवेदन पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र - 1 के निदेशानुसार आपसे स्पष्ट मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो सम्प्रति अप्राप्त है ।

अनुरोध है कि विषयक मामले के संबंध में पृच्छित बिन्दुओं का प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त अपना सुस्पष्ट मंतव्य अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को मंतव्य उपलब्ध कराया जा सके ।

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम
जमशेदपुर

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 329

दिनांक : 19-03-21

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला को इस कार्यालय का पत्रांक 40 दिनांक 09.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयगत मामले के संबंध में आपके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अपना सुस्पष्ट मंतव्य यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर